"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2011—वैशाख 2, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2011

क्रमांक एफ 1-2/2010/1/5.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2010 के अनुक्रम में, "डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती" गुरुवार दिनांक 14 अप्रैल 2011 को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2011

क्रमांक/एफ 1-28/10/स.क./26.—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) तथा छत्तीसगढ़ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2006 का नियम 12 के उपनियम (1) एवं (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य चयन समिति द्वारा सम्यक् रूप से चयनित अध्यक्ष एवं सदस्यों को सम्मिलित करते हुए नीचे दर्शाए अनुसार जिलों में बालक कल्याण समिति का गठन करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	सदस्यों का नाम (3)	अध्यक्ष/सदस्य (4)
1.	नारायणपुर	1. श्री बोधराज सिंह	अध्यक्ष
		2. श्री खेमलाल नाग	सदस्य
		3. श्री देवीसिंह माझी	सदस्य
		4. श्रीमती दिशा इलवादी	सदस्य
		5. श्रीमती सच्ची देवांगन	सदस्य
2.	बीजापुर	1. श्री घासीराम नाग	अध्यक्ष
		2. श्री यालम नारायण	सदस्य
		3. श्री सीताराम तोड़ेम	सदस्य

बालक कल्याण समिति की काल अवधि अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष होगी. यह समिति संप्रेक्षण गृह/बाल गृह के परिसर में अथवा निर्धारित स्थान में अपनी बैठकें करेगी.

No. F 1-28/10/S.W./26.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 as amended 2006 and sub-rules (1) and (2) of rule 12 of Chhattisgarh Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rule 2006, the State Government hereby constitutes the Child Welfare Committee with a Chairman and Members duly selected by the State Selection Committee for the following districts :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the District (2)	Name of Members (3)	Chairman/Member (4)
1.	Narayanpur	1. Shri Bodhraj Singh	Chairman
		2. Shri Khemlal Nag	Member
		3. Shri Devi Singh Majhi	Member
		4. Smt. Disha Ilwadi	Member
		5. Smt. Sachchi Dewangan	Member
2.	Bijapur	1. Shri Ghasiram Nag	Chairman
		2. Shri Yalam Narayan	Member
		3. Shri Seetaram Todem	Member

The term of office of the Child Welfare Committee shall be three years from date of the notification. The Committee shall be meeting in the premises of the Observation Homes/Children Home or elswhere as decided.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2011

क्रमांक/1408/एफ-12/28/2009/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विभागीय अधिसूचना क्रमांक 3130-ए/एफ-12/28/2009/14-2 रायपुर, दिनांक 28-08-2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :—

शब्द "चांपा" के स्थान पर शब्द "नैला" प्रतिस्थापित किया जाए.

No./1408/F-12/28/2009/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Part (a) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby makes the following amendment in the Department Notification No. 3130-A/F-12/28/2009/14-2, Raipur, Dated 28-08-2010, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification :—

For the word "Champa" the word "Naila" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 28 मार्च 2011

क्रमांक/1788/भू-अर्जन/कले./2011.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) की उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	शामतरा	0.57	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, उत्तर बस्तर कांकेर.	दुधावा दायीं तट नहर निर्माण माइनर एक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 11 मार्च 2011

क्रमांक 04/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	सिवनी	1.29	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	गूजरनाला जलाशय योजना नहर कार्य.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 मार्च 2011

क्रमांक 23/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	कटरा	0.63	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	कटरा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 मार्च 2011

क्रमांक 10/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	निरतू प. ह. नं. 31	7.58	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लछनपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत आर.बी.सी. नहर निर्माण कार्य के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 मार्च 2011

क्रमांक 21/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिन्यिम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	नेवसा	0.14	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	अकलतरी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्रमांक 02/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पोड़ी प. ह. नं. 2	0.54	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	पोंड़ी एनीकट के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्रमांक 23/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	मड़ना	2.755	मुख्य अभियंता, (निर्माण-1) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर (छ. ग.)	सारबहरा स्टेशन से पेण्ड्रारोड स्टेशन तक रेल मार्ग दोहरीकरण कार्य.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	चिस्दा प. ह. नं. 25	0.097	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	चिस्दा माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	परसापाली प. ह. नं. 14	0.156	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	परसापाली माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	टेका प. ह. नं. 26	2.687	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा (खरसिया)	केलो परियोजना अंतर्गत तारापुर वितरक नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गोर्रा प. ह. नं. 26	1.597	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा (खरसिया)	केलो परियोजना अंतर्गत तारापुर वितरक नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सुलोनी प. ह. नं. 36	2.358	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत सुलोनी माइनर नहर आर.डी. क्र. 234 से 1590 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गोतमा प. ह. नं. 36	3.011	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत केलापाली माइनर नहर आर.डी. क्र. 1580 से 3430 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कठली प. ह. नं. 39	4.264	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत कलमा माइनर नं. 1, नहर आर.डी. क्र. 0 मी. से 1620 मी. तक और कलमा माइनर नं. 2, नहर आर.डी. क्र. 0 मी. से 378 मी. तक एवं 708 मी. से 888 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कोतासुरा प. ह. नं. 37	2.028	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत ठाकुरपाली माइनर नहर आर.डी. क्र. 0 मी. से 1000 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 36/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	छिंछोर उमरिया प. ह. नं. 41	1.480	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत ठाकुरपाली माइनर नहर आर.डी. क्र. 2485 मी. से 3150 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	परसापाली प. ह. नं. 41	1.846	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत परसापाली माइनर नहर आर.डी. क्र. 1185 मी. से 2340 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पुसल्दा प. ह. नं. 28	4.759	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय, खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत शंकरपाली माइनर नहर 1 आर.डी. क्र. 0 से 900 मी. तक एवं शंकरपाली माइनर नहर 2 आर.डी. क्र. 0 से 720 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 39/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	नन्देली प. ह. नं. 37	0.598	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना अंतर्गत केलो माइनर नहर डी. क्र. 0 से मी. तक निमार्ण भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 40/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कोतासुरा प. ह. नं. 37	1.484	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत टिनमिनी माइनर नहर आर.डी.क्र. 0 मी. से 930 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 41/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बुनगा प. ह. नं. 40	3.673	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत बुनगा माइनर नं. 1 नहर आर.डी.क्र. 2520 मी. से 4350 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 28 मार्च 2011

क्रमांक/1785/भू-अर्जन/कले./2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-कोड़ेजुंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.99 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	754	0.65
	750	0.34
योग	2	0.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-मनकेशरी जलाशय के उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 18 मार्च 2011

क्रमांक/542/अ.भू-अ.प्र./04/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-पाऊवारा, प. ह. नं. 31/44
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	375/1	0.18
	376/1	0.16
योग	2	0.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जंजगिरी डायवर्सन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मार्च 2011

क्रमांक/856/अ-82/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-ईरागुड़ा
- (घ). लगभग क्षेत्रफल-0.59 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
560/1 2	0.09
561	0.03
562	0.02
563	0.04
564/1	0.06
672/3	0.01
672/6	0.02
672/1	0.03
672/2	0.02
676	0.04
680	0.06
692	0.01
693	0.01
694	0.03
698/2	0.02
697	0.01
699	0.01
688/7	0.02
689/1	0:02
700	0.04
योग 20	0.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-इरागुड़ा चारभाठा पायला मार्ग हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मार्च 2011

क्रमांक/858/अ-82/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन.
- (ग) नगर/ग्राम-चारभाठा
- (घं) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
523	0.02
521	0.02
518	0.02
517	0.02
539	0.02
योग 5	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-इरागुड़ा चारभाठा पायला मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मार्च 2011

क्रमांक/860/अ-82/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-पाटन
(ग) नगर/ग्राम-बघमरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	316	0.06
	317	0.04
	318	0.03
	319/1	0.04
योग	4	0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजनांदगांव गुण्डरदेही मार्ग पर तांदुला नदी पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मार्च 2011

क्रमांक/862/अ-82/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) ज़िला-दुर्ग
(ख) तहसील-पाटन
(ग) नगर/ग्राम-खर्रा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.43 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1372	0.10
	1373	0.05
	1374	0.04
	1375	0.06
	1377	0.04
	1378	0.05
	1380	0.09
योग	07	0.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भनसुली व्यपवर्तन नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 अप्रैल 2011

क्रमांक/981/अ-82/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-पाटन
(ग) नगर/ग्राम-ओडारसकरी, प. ह. नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	570	0.05
योग		0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोगानाला जलाशय नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्रमांक/675/अ.भू-अ.प्र./01/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-धमधा
 (ग) नगर/ग्राम-सेमरिया, प. ह. नं. 17
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	932	0.097
योग	1	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जालबांधा पहुंच मार्ग योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 15 अप्रैल 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-धरमजयगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-नवांपारा, प. ह. नं. 31
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-54.929 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
327/3	0.129
327/6	0.324
332/3	0.053
416/2	0.286
417/2	0.137
289/4	0.020
327/1	0.073
327/4	0.414
332/1	0.053
327/8	0.113
417/1	0.243
428/1	0.182
290/1	0.986
289/5	0.020
327/5 क	0.069
332/2 क	0.033
327/2 क	0.101
416/1 क	0.182
326/2	0.202
493/5	0.040
493/2	0.040
493/4	0.040
432	0.310
289/6	0.020
418/2	0.406
431/2	0.363
327/7	0.121
359/2	0.093
354/1	0.085
361/2	0.167
408/2	0.100
286	0.270
418/1	0.344
419/2	0.615
431/1 ख	0.133
291/2	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
327/2 ख	0.101	291/1	1.048
327/5 ख	0.068	383	1.220
332/2 ख	0.031	384	0.570
416/1 ख	0.182	289/1	0.680
428/2 ख	0.120	331	0.690
290/2	0.024	457	0.750
324	0.180	345	0.130
351	0.110	346	0.150
355	0.090	347	0.350
359/1	0.094	350	0.160
361/1	0.167	352	0.210
393/1	0.025	353	0.210
408/1	0.100	391	0.110
405/1	0.105	420	0.670
406	0.980	287/5	0.024
460	0.240	287/3	0.028
490	0.550	493/6	0.040
428/2	0.179	287/4	0.032
405/2	0.525	469/5	0.020
493/2	0.040	469/16	0.020
289/2	0.020	292	0.130
493/3	0.040	293	0.140
354/2	0.085	294	0.150
359/3	0.093	296	0.100
361/3	0.167	297	0.080
393/2	0.025	298	0.100
408/3	0.100	309	0.080
251	0.480	310	0.090
458	1.350	311	0.090
515	0.880	430/4	0.200
419/1	0.445	295	0.110
431/1 क	0.795	299	0.190
392	0.320	300	0.110
322	0.250	501/2	0.162
321	0.380	367	0.150
349	0.750	304/2	0.291
356	0.090	305	0.250
357	0.070	307	0.050
358	0.040	313	0.540
360	0.220	366	0.100
407	0.440	389	0.230
413	0.430	302/1	0.212
423	1.640	304/1	0.129
415	0.780	364/1	0.121
424	1.200	502	0.110
493/1	0.700	503	0.780

(1)	(2)
504	0.420
505	0.130
508	0.740
501/1	0.628
509	0.190
325	0.210
315/1	0.540
517/4	0.020
517/5	0.020
519/2	0.020
328	0.910
285/2	0.100
434/1	0.170
329	0.310
344	1.040
373	0.270
375	0.240
394/1	1.140
435/1	0.240
363	0.360
314/1	0.335
362/1	0.526
370	0.190
364/2	0.369
426/1 ख	0.050
302/2	0.218
430/1	0.040
371	0.120
388	0.160
425	0.100
430/2	0.210
376	0.160
426/1 क	0.050
426/3	0.062
427	0.230
440	0.340
438/1	0.720
442	0.200
444	0.100
455	0.200
506	0.170
520	0.330
522/1	0.200
521	0.460
301	0.640
312	0.960

(1)	(2)
372	0.820
518	1.090
426/2	0.068
512/1	0.040
337/2	0.050
287/2	0.041
288/2	0.020
288/3	0.020
288/4	0.040
288/5	0.020
289/3	0.020
314/2	0.335
362/2	0.201
362/3	0.302
394/2	0.040
434/2	0.040
435/2	0.020
435/3	0.040
436/1	0.210
436/2	0.020
438/2	0.020
447/2	0.040
510/1	0.025
510/2	0.025
511/1	0.060
511/2	0.020
511/3	0.020
511/4	0.020
512/3	0.020
512/4	0.020
512/5	0.020
512/6	0.020
513/1	0.300
513/2	0.020
513/3	0.299
517/2	0.020
517/3	0.020
430/5	0.040
512/2	0.620
519/1	0.530

(1)	(2)
430/3	0.200
योग 215	54.929

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजनार्थ (पावर प्लांट हेतु)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 अप्रैल 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बोजिया, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-44.562 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
634/2 ग	0.237
660/2 घ	0.381
664/4	0.270
664/17	0.050
664/11	0.152
636	0.227
637	0.506
472/2	0.178
664/5	0.113
669/4	0.137
487/2	0.291
634/2 क	0.236
660/2 ग	0.380
661/2 ख	0.405
664/2	0.052
664/9	0.151
669/2	0.037
483/1	0.422
465/1 क/2	0.202
634/2 ख	0.237
660/2 ख	0.380
664/3	0.012
664/8	0.052
664/10	0.151
669/3	0.024
464/3 क/1	0.161
665	0.247
666	0.105
471/2	0.358
464/3 घ	0.137
466/3	0.113
466/4	0.021
496/1 ख	0.385
633/1 ङ	0.930
485/1	0.032
489/2	0.447
671/1 ख	0.607
482	0.239
495/2 ख	0.336
502/3	0.615
484/1	0.454
502/1	0.776
487/1	0.393
660/2 क	0.202
661/2 क	0.404
664/1	0.892
668	0.466
669/1	0.040
670	2.175
694/2	0.336
493/2	0.210
500	0.486
492/2	0.178
499	0.304
471/4	0.157
501	0.745
495/1	0.259
498/1	0.120

(1)	(2)
671/2	1.380
475	0.271
489	0.802
504	0.955
506	0.360
508	0.797
632	0.829
635/1 ख	0.664
484/2	0.194
502/2	0.632
479	0.324
503	0.870
510	0.295
466/1	0.287
496/1 क	0.656
471/3	0.101
465/1 क	0.079
465/3	0.433
465/5	0.057
497/1	0.890
480	0.146
493/1	0.020
660/2 ङ	1.028
664/6	0.113
669/5	0.138
694/3	0.170
471/1	0.101
634/1	0.709
660/1	0.749
661/1	0.255
661/3	1.360
661/4	0.648
662/1	0.809
662/2	1.518
690	0.065
694/1	0.506
465/2	0.587
465/4	0.344
497/2	0.263
488	0.441
464/3 ग	0.182
472/1	0.049
473/1	0.146
472/3	0.105
476	0.478
494	0.182
481	0.450
490	0.922
491/1	0.061
671/1 क	1.012
492/1	0.332
509	0.417
486/1	0.081
496/2	0.193
495/2 क	0.048
635/2	0.166
474	0.279
योग 115	44.562

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजनार्थ (पावर प्लांट हेतु)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 अप्रैल 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चीतापाली, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-96.498 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
95/1	0.008
183	0.012

(1)	(2)	(1)	(2)
195	0.121	166	0.190
187/2	0.020	2/11	0.555
385	0.190	2/12	0.405
105/2	0.020	2/22	0.202
175/2	0.263	2/23	0.809
176	0.478	9/2	0.170
177	0.214	163/2	0.085
178	0.129	170	0.121
180	0.753	391	0.761
504	0.040	205/1	0.016
181	0.206	9/3	0.275
194	0.243	61	0.466
207/1	0.024	97	0.061
94	0.101	107	0.024
95	0.117	108	0.109
148/5	0.466	11	0.522
103	0.036	12/1	0.073
148/6	0.065	13/1 घ	1.214
148/7	0.105	13/1 ङ	0.809
117/2 ख	0.089	16/1	0.283
117/2 ग	0.073	22/2	0.024
153/2	0.162	23/3	0.198
154	0.210	24	0.870
383/1 ग	0.527	26	1.040
31	0.065	27	0.688
2/19	890	18/3	0.121
2/27	0.040	30	0.458
155/4	0.081	32/5	0.081
179/2	0.101	396/2	0.040
117/2 क	0.040	34	0.073
179/1	0.101	392/4	0.057
105/1	0.097	394/2	0.061
169/2	0.733	46	0.263
174/2	0.109	113/1 क	0.020
198	0.089	129	0.809
387/2	0.097	190	0.093
388/2	0.547	379/2 क	0.182
390/2	0.040	394/1	0.198
169/1	0.267	395	0.312
174/1	0.097	2/28	0.040
387/1	0.174	2/29	0.040
388/1	0.336	10/1	0.358
389	0.206	67/3	0.127
390/1	0.146	89/3	0.120
163/1	0.085	112/2	0.054
165	0.247	113/2	0.013

(1)	(2)
119/2	0.028
2/2 ज	0.324
2/3 क, 2/3 ख	0.065
2/7 ग	0.090
2/7 च	0.065
2/8 ख	0.097
2/8 ग	0.024
10/2 ग	1.016
89/2	0.534
113/1 ख	0.020
378, 379/1, 384/2	0.102
2/24	0.121
128/3	0.040
2/25/1	0.081
10/2 क	0.350
67/1 क	0.227
71/1	0.087
378, 379/1, 384/1	0.095
383/1 क	0.010
2/25/2	0.081
10/2 ग	0.350
67/1 ख	0.227
71/2	0.087
378, 379/1 , 384/3	0.095
383/1 ख	0.010
164	0.283
182	0.384
192	0.190
203/2	0.085
123/1 क	0.041
106	0.036
123/1 ग	0.040
167	0.129
206/1	0.004
203/1	0.040
209/4	0.166
232/1	0.004
232/3	0.032
250	0.858
251/5	0.971
251/7	0.146
251/8	0.121
1/2	0.065
2/2 ख	0.162
2/7 ड	0.141
2/7 ङ	0.195
2/3 [illegible]	0.056
2/7 छ	0.077
2/7 क	0.151
2/7 ख	0.073
2/4 क	0.068
2/8 क	0.243
2/9 क	0.021
2/20 क	0.027
2/21 क	0.101
3	0.210
84/1	0.024
84/3	0.057
243/1	0.028
242	0.037
84/4	0.016
131/1	1.031
209/2 क, 209/2 ख	0.162
234/1	0.100
91/2 क	0.202
93/1	0.081
109	0.077
110	0.158
111	0.081
117/3	0.081
120	0.101
100/1	0.006
59/1 ग	0.546
67/4	0.113
68/1	0.287
59/1 क	0.506
199	0.125
132/1	1.214
66	0.575
13/1 क	0.283
59/3	0.162
13/2	0.202
80	0.093
171/1 ख	0.105
14/1	0.153
15/3 क	0.077
91/1 क	0.304
91/2 ग	0.223
14/4	0.454
15/3 ग	0.105
16/2	0.202
17	0.293
23/3	0.105

(1)	(2)
130/9	0.024
29/2	0.065
23/4	0.202
96	0.263
114	0.034
130/15	0.202
200	0.057
16/4	0.405
23/5	0.162
235/1	0.359
236	0.077
243/1.	0.263
23/6	2.026
14/2	0.121
14/3	0.202
15/3 ख	0.324
90	0.093
91/1 ख	0.162
91/2 घ	0.202
93/2	0.437
98	0.024
392/1	0.223
393/3	0.085
16/3	0.040
18/4	0.154
204	0.032
205/2	0.036
206/2	0.024
209/1 क	0.081
225	0.401
234/2, 235/2	0.202
232/6	0.162
392/2	0.202
128/2	0.607
131/2	0.304
132/2 क	0.226
132/2 ख	2.708
138/3	0.429
148/4	0.142
10/3	0.540
18/9	0.081
37	0.024
50/3, 52/3	0.150
67/5	0.128
89/1	0.120
89/4	0.294
112/3	0.054
113/3	0.027
12/2	0.162
13/1 ख	0.202
13/1 ग	0.729
15/2	0.170
22/1	0.405
92	1.356
123/2	0.093
208	0.061
53/2	0.405
100/2	0.006
55/2	0.352
59/2	0.202
122	0.237
55/1	0.040
59/1 ख	0.397
60	0.166
151/1 ख	0.607
201/1	0.053
33/2	1.072
102/1	0.036
158/3	0.028
156/6	0.170
160/1	0.081
159/1	0.146
48/2	0.591
54	0.121
53/3 च	0.040
209/3	0.162
232/4	0.283
251/1	0.053
251/2	0.020
251/3	0.028
275	0.660
276	0.049
277	0.053
278	0.473
67/2 ख	0.061
68/2 ख	0.061
148/2	0.137
172/2	0.089
172/3	0.016
223	0.053
224/1	0.210
397/1	0.497
148/3	0.542

(1)	(2)	(1)	(2)
148/9	0.040	5/2 क	0.040
224/2	0.020	5/4	0.040
224/4	0.025	6/1 ग	0.040
187/1	0.117	6/1 क	0.449
188	0.020	6/2	0.164
189	0.040	8/2 क	0.263
2/4 ख	0.337	6/1 ख	0.040
2/9 ख	0.100	33/1	0.020
2/20 ख	0.135	48/1	0.065
2/21 ख	0.506	148/1	0.045
4/2	0.591	151/5 क	0.101
2/5 ङ	0.809	156/1 क	0.488
2/5 घ	2.620	157/1	0.611
2/5 ख	1.214	155/5 क	0.046
2/6	1.854	155/5 ख	0.113
2/13	0.142	156/2	0.263
201/4	0.057	156/4	0.182
157/2	0.020	157/3	0.364
158/1	0.052	29/3	0.073
158/6	0.195	162	0.049
196/3	0.069	238/2 ग, 239/2 ग	0.040
345/4	0.131	238/2 घ, 239/2 घ	0.009
343/5	0.012	171/2 ख	0.203
343/7	0.048	53/3 झ	0.040
124/4	0.009	53/3 थ	0.040
155/5 ङ	0.064	53/3 ठ	0.040
155/5 ज	0.031	53/3 ट	0.040
156/5 क	0.308	62/1	0.512
241	0.105	64/2 क	0.052
42	0.729	67/2 क 1	0.803
43	0.615	68/2 क 1	0.223
45	0.392	69/2 क	0.046
46	0.226	62/2	0.511
47	0.567	64/2 ख	0.053
72	0.028	67/2 क 2	0.803
118	0.028	68/2 क 2	0.222
121	0.040	69/2 ख	0.047
127	0.109	84/5	0.077
274	0.105	88/2	0.498
503	0.093	88/4	0.202
49	0.081	124/1	0.009
50/1, 52/1	0.182	155/5 घ	0.030
112/1	0.054	158/2	0.217
119/1	0.069	196/1	0.079
50/2, 52/2	0.567	343/3	0.103
2/2 घ	0.061	345/1	0.644
2/42	0.101	156/5 ख	0.162

(1)	(2)
345/5	0.131
124/2	0.009
158/5	0.240
196/2	0.079
343/4	0.067
345/3	0.131
155/5 च	0.030
343/2	0.152
156/7	0.174
157/4	0.020
158/4	0.090
158/7	0.064
159/2	0.085
343/6	0.024
343/8	0.048
345/6	0.131
126	0.049
140/1	1.579
160/2	0.105
184/1	0.045
184/2	0.045
151/4	0.202
229, 233/2 ख	0.146
130/14 ग	0.101
130/14 झ	0.101
130/14 न	0.101
130/14 ट	0.101
130/14 ठ	0.101
140/2	1.011
140/3	0.324
141/2	0.032
152/1	0.162
161	0.073
237	0.154
238/2 क, 239/2 क	0.028
44	0.178
156/1 ख	0.607
151/5 ग	0.081
201/2	0.085
201/3	0.040
202	0.040
218	0.036
228	0.065
230	0.255
233/1	0.159
[illegible]	0.08[illegible]
238/1	0.020
229, 233/2 क	0.377
5/2 ख	0.040
130/14 त	0.101
53/3 त	0.040
155/5 छ	0.030
151/5 ख	0.020
156/3	0.360
124/3	0.009
155/5 ग	0.061
योग 447	96.498

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजनार्थ (पावर प्लांट हेतु)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1[illegible] [illegible]ल 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कटाईपाली, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-37.816 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
595	0.140
596	0.140
675	2.290

(1)	(2)
676	0.220
617	0.250
619	1.370
621	1.230
634	0.710
637	0.710
638	1.500
640	1.010
655	1.160
674	1.620
681	0.040
708/2	0.057
708/7	0.081
708/3	0.146
708/5	0.032
708/9	0.167
708/1	0.115
708/4	0.055
708/8	0.262
708/6	0.125
738	0.260
567	0.260
717	0.210
568	0.320
570	0.240
583	0.800
584	0.210
586	0.190
587	0.280
588	0.750
592	1.500
602	0.280
593	1.640
601	0.310
594	0.460
599	0.740
590	3.070
591/1	0.197
598	0.940
600	0.480
604	0.950
605	0.260
606	0.210
591/2	0.203
607	0.150
612/3	0.050
613	0.070
628	0.290
609	0.160
611	0.120
612/1	0.755
610/1	0.255
612/2	0.125
610/2	0.395
614	0.070
623	0.650
633	0.400
646/1	1.598
678/1	0.810
678/2	0.400
680	0.820
684	0.170
685	0.480
720/1	1.858
योग 67	37.816

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजनार्थ (पावर प्लांट हेतु)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 2 अप्रैल 2011

क्रमांक/2452/ज्ये.लि.-1/2011.—जिले में गर्मी एवं वर्षा के मौसम प्रारम्भ होते ही जल-जनित संक्रामक रोग जैसे-उल्टी-दस्त, आन्त्रशोथ, पीलिया आदि के फैलने का खतरा प्रारम्भ हो जाता है. गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बीमारियों के महामारी का रूप धारण करने की सम्भावना रहती है, और इन पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण के उपाय हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है. अत: छत्तीसगढ़ आपात्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण राजनांदगांव जिला को 6 माह (छ: माह) की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

(2) जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाज़ारों, तहसील एवं विकासखंड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैंडों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिये रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग सब्जियां, मिष्ठान, मांस मछलियां, अनाज, रोटी, मानवीय उपयोग के लिये पेय पदार्थ जैसे बर्फ, आईस्क्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्नारस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोध, पेचिस एवं संक्रमक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छ.ग. आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय राजनांदगांव, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगर निगम क्षेत्र/नगर पालिका/नगर पंचायत, अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के लिये निर्देश दिये जाते हैं.

(3) जिले के महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

(4) यह आदेश पूर्ण सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,
कलेक्टर.

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2011

आकस्मिक रिक्ती की सूचना

[छ.ग.न.पा. अधिनियम 1961 की धारा 40 (2) की उपधारा (एक) के अंतर्गत]

क्रमांक/शा./-1/विविध/1665/11/2726.—श्री लक्ष्मण सिंह रावटे, निर्वाचित पार्षद, वार्ड क्र. 07, नगर पंचायत डौण्डी ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 40 (1) के अंतर्गत दिनांक 25-02-11 को लिखित रूप से सूचना दी है कि उनकी नौकरी लग जाने के कारण पार्षद के पद से त्यागपत्र देते हुए उसे स्वीकार करने का निवेदन किया है.

उक्तानुसार प्राप्त त्यागपत्र की वास्तविकता के बारे में समाधान कर लिया गया है तथा उपरोक्त कारण की तुष्टि होने के उपरांत

श्री लक्ष्मण सिंह रावटे. निर्वाचित पार्षद, वार्ड क्र. 07 नगर पंचायत डौण्डी का पार्षद पद से दिनांक 25-02-11 को दिया गया त्यागपत्र एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है.

यह भी अधिसूचित किया जाता है कि श्री लक्ष्मण सिंह रावटे के त्यागपत्र के कारण नगर पंचायत डौण्डी के वार्ड क्र. 07 के पार्षद का पद रिक्त हो गया है.

संजय शुक्ला,
आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज़ शाखा), रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2011

क्रमांक क/खलि/तीन-1/09.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम (12) के तहत, जिला रायपुर स्थित निम्नानुसार सूची में दर्शाये गये क्षेत्र, चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 (दिन) पश्चात्, आवेदन हेतु उपलब्ध होगा. प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जांच उपरान्त आवेदित क्षेत्र में उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	निसदा	148	आरंग	1338 (शासकीय घास भूमि)	1.70 एकड़	श्री पुनीत राम साहू को फर्शीपत्थर उत्खनि-पट्टा दिनांक 22-06-2000 से 21-06-2010 तक स्वीकृत अवधि समाप्त होने के कारण क्षेत्र रिक्त है.
2.	धनसूली	79	आरंग	923 (निजी भूमि)	4.60 एकड़	श्री के. आर. रूपरेला को चूनापत्थर उत्खनिपट्टा दिनांक 4-12-2005 से 3-12-2010 तक स्वीकृत अवधि समाप्त होने के कारण क्षेत्र रिक्त है.

डोमन सिंह,
अपर कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 12 जनवरी 2011

क्रमांक 150/तीन-10-8/2000 (V).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-9689/तीन-10-8/2000 (V) दिनांक 08 दिसंबर, 2005 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये,

विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक फा. 233/86/21-B/11 दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय 17 जनवरी, 2011 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	6
				2. नारायणपुर	1	2. नारायणपुर	1
				3. कोंडागांव	1	3. केशकाल	1
2.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	7	1. बिलासपुर	5	1. बिलासपुर	10
		2. मुंगेली	1	2. मुंगेली	1	2. मुंगेली	1
		3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1
				4. बिल्हा	1	4. कोटा	1
						5. लोरमी	1
						6. मरवाही	1
						7. तखतपुर	1
3.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	2
				2. सुकमा	1	2. बीजापुर	1
				3. बीजापुर	1	3. बचेली	1
						4. कोन्टा	1
4.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी	2	1. धमतरी	2
				2. कुरूद	1	2. नगरी	1
5.	दुर्ग	1. दुर्ग	6	1. दुर्ग	3	1. दुर्ग	12
		2. बालौद	1	2. बालौद	1	2. बालौद	2
		3. बेमेतरा	1	3. बेमेतरा	1	3. बेमेतरा	2
				4. पाटन	1	4. साजा	1
				5. गुण्डरदेही	1	5. डोण्डीलोहारा	1
						6. दल्लीराजहरा	1
6.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर	1	1. जांजगीर	2	1. जांजगीर	2
		2. सक्ती	1	2. सक्ती	1	2. सक्ती	1
				3. चांपा	1	3. डभरा	1
						4. पामगढ़	1
						5. जैजैपुर	1
						6. नवागढ़	1
						7. मालखरौदा	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	जशपुर	1. जशपुर	1	1. जशपुर	2	1. जशपुर	1
				2. कनुकुरी	1	2. पत्थलगांव	1
						3. बगीचा	1
8.	कबीरधाम (कवर्धा)	–	–	1. कवर्धा	3	1. कवर्धा	1
						2. पंडरिया	1
9.	कोरबा	1. कटघोरा	1	1. कोरबा	2	1. कोरबा	1
				2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1
						3. पाली	1
						4. करतला	1
10.	कोरिया (बैकुंठपुर)	1. मनेंद्रगढ़	2	1. बैकुंठपुर	2	1. बैकुंठपुर	1
				2. मनेंद्रगढ़	1	2. मनेंद्रगढ़	1
				3. चिरमिरी	1	3. जनकपुर	1
11.	महासमुंद	1. महासमुंद	2	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	2
				2. सरायपाली	1	2. पिथौरा	1
12.	रायगढ़	1. रायगढ़	1	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	4
		2. सारंगढ़	1	2. घरघोड़ा	1	2. धर्मजयगढ़	1
				3. सारंगढ़	1	3. खरसिया	1
13.	रायपुर	1. रायपुर	8	1. रायपुर	6	1. रायपुर	16
		2. बलौदा बाज़ार	2	2. बलौदा बाजार	1	2. बलौदा बाजार	1
		3. भाटापारा	1	3. गरियाबंद	1	3. गरियाबंद	1
		4. गरियाबंद	1	4. भाटापारा	1	4. राजिम	1
				5. कसडोल	1	5. सिमगा	1
						6. बिलाईगढ़	1
						7. तिल्दा	1
						8. देवभोग	1
						9. भटगांव	1
14.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	3
		2. खैरागढ़	1	2. अम्बागढ़चौकी	1	2. डोंगरगढ़	1
				3. डोंगरगढ़	1	3. खैरागढ़	1
				4. खैरागढ़	1	4. छुईखदान	1
15.	सरगुजा (अंबिकापुर)	1. अम्बिकापुर	2	1. अंबिकापुर	2	1. अंबिकापुर	5
		2. सूरजपुर	1	2. रामानुजगंज	1	2. सूरजपुर	2
				3. सूरजपुर	1	3. वाड्रफनगर	1
				4. प्रतापपुर	1	4. सीतापुर	1
16.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर	1	1. कांकेर	2	1. कांकेर	1
				2. भानुप्रतापपुर	1	2. पखांजुर	1

Bilaspur, the12th January 2011

No. 150/III-10-8/2000 (V).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 9689/III-10-8/2000 (V), dated 08-12-2008, the High Court hereby directs that the Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II as established by the Law Department Notification No. F-233/86/21-B/11 dated 11-01-2011 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the 17th January 2011 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	6
				2. Narayanpur	1	2. Narayanpur	1
				3. Kondagaon	1	3. Keshkal	1
2.	Bilaspur	1. Bilaspur	7	1. Bilaspur	5	1. Bilaspur	10
		2. Mungeli	1	2. Mungeli	1	2. Mungeli	1
		3. Pendra-Road	1	3. Pendra-Road	1	3. Pendra-Road	1
				4. Bilha	1	4. Kota	1
						5. Lormi	1
						6. Marwahi	1
						7. Takhatpur	1
3.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara	1	1. Dantewara	1	1. Dantewara	2
				2. Sukma	1	2. Bijapur	1
				3. Bijapur	1	3. Bacheli	1
						4. Konta	1
4.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari	2	1. Dhamtari	2
				2. Kurud	1	2. Nagri	1
5.	Durg	1. Durg	6	1. Durg	3	1. Durg	12
		2. Balod	1	2. Balod	1	2. Balod	2
		3. Bemetara	1	3. Bemetara	1	3. Bemetara	2
				4. Patan	1	4. Saja	1
				5. Gunderdehi	1	5. Dondilohara	1
						6. Dallirajhara	1
6.	Janjgir-Champa	1. Janjgir	1	1. Janjgir	2	1. Janjgir	2
		2. Sakti	1	2. Sakti	1	2. Sakti	1
				3. Champa	1	3. Dabhra	1
						4. Pamgarh	1
						5. Jaijaipur	1
						6. Navagarh	1
						7. Malkharoda	1
7.	Jashpur	1. Jashpur	1	1. Jashpur	2	1. Jashpur	1
				2. Kunkuri	1	2. Patthalgaon	1
						3. Bagicha	1
8.	Kabeerdham (Kawardha)	-	-	1. Kawardha	3	1. Kawardha	1
						2. Pandariya	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Korba	1. Katghora	1	1. Korba	2	1. Korba	1
				2. Katghora	1	2. Katghora	1
						3. Pali	1
						4. Kartala	1
10.	Koriya (Baikunthpur)	1. Manendragarh	2	1. Baikunthpur	2	1. Baikunthpur	1
				2. Manendragarh	1	2. Manendragarh	1
				3. Chirmiri	1	3. Janakpur	1
11.	Mahasamund	1. Mahasamund	2	1. Mahasamund	3	1. Mahasamund	2
				2. Saraipali	1	2. Pithoura	1
12.	Raigarh	1. Raigarh	1	1. Raigarh	2	1. Raigarh	4
		2. Sarangarh	1	2. Gharghora	1	2. Dharamjaigarh	1
				3. Sarangarh	1	3. Kharsiya	1
13.	Raipur	1. Raipur	8	1. Raipur	6	1. Raipur	16
		2. Balodabazar	2	2. Balodabazar	1	2. Balodabazar	1
		3. Bhatapara	1	3. Gariyaband	1	3. Gariyaband	1
		4. Gariyaband	1	4. Bhatapara	1	4. Rajim	1
				5. Kasdol	1	5. Simga	1
						6. Bilaigarh	1
						7. Tilda	1
						8. Devbhog	1
						9. Bhatgaon	1
14.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	3
		2. Khairagarh	1	2. Ambagarh-chowki.	1	2. Dongargarh	1
				3. Dongargarh	1	3. Khairagarh	1
				4. Khairagarh	1	4. Chhuikhadan	1
15.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur	2	1. Ambikapur	2	1. Ambikapur	5
		2. Surajpur	1	2. Ramanujganj	1	2. Surajpur	2
				3. Surajpur	1	3. Wadrafnagar	1
				4. Pratappur	1	4. Sitapur	1
16.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker	1	1. Kanker	2	1. Kanker	1
				2. Bhanupratappur	1	2. Pakhanjur	1

बिलासपुर, दिनांक 18 जनवरी 2011

क्रमांक 04/दो-2-5/2007.—श्रीमति रानू दिवेकर, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायगढ़ दिनांक 04-02-2010 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09, दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्रमांक 1227/तीन-22-3/2000.—छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा निम्नलिखित सारणी के कॉलम नम्बर (1) में दर्शित अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक, जिसका संबंध कॉलम नम्बर (2) में दर्शित न्यायाधीश के, कॉलम नम्बर (3) में दर्शित स्थान के शिविर/श्रृंखला न्यायालय से है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक (1)		न्यायालय का नाम (2)	स्थान (3)
1017/तीन-22-3/2000	08-02-2007	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुरनगर	कुनकुरी
650/तीन-22-3/2008	17-01-2008	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, डभरा.	सक्ती
652/तीन-22-3/2008	17-01-2008	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चांपा.	जांजगीर

Bilaspur, the 25th February 2011

No. 1227/III-22-3/2000.—The following Notification Nos./Date as mentioned in column No. (1) so far as it relates to holding Camp/Link Court of the Court mentioned at column No. (2) at the places mentioned at column No. (3) of the table below, are hereby cancelled.

Notification Nos./Date (1)		Name of the Court (2)	Place (3)
1017/III-22-3/2000	08-02-2007	Additional District & Sessions Judge, Jashpurnagar.	Kunkuri
650/III-22-3/2008	17-01-2008	Civil Judge Class II & J.M.F.C., Dabhra	Sakti
652/III-22-3/2008	17-01-2008	Civil Judge Class II & J.M.F.C., Champa	Janjgir

Bilaspur, the 14th March 2011

No. 193/Confdl./2011/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Sarita Das, IV Civil Judge Class-II, Raigarh, to permit her to write "Shrimati" in place of "Kumari" before her name, she is, hereby, permitted to write "Shrimati" in place of "Kumari" before her name. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 17th February 2011

No. 350/L.G./2011/II-2-15/2007.—Smt. Vimla Singh Kapoor, Judge, Family Court, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 09 days from 21-02-2011 to 01-03-2011 and permission to prefix holidays of 19th & 20th February, 2011 (3rd Saturday & Sunday) & suffix holiday of 02-03-2011 (Mahashivratri) along with permission to remain out of headquarters from 19-02-2011 to 02-03-2011.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Kapoor, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 244 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.

बिलासपुर, दिनांक 23 फरवरी 2011

क्रमांक 12/दो-3-2/2007.—श्री शिवमंगल पाण्डेय, तत्कालीन द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 22-12-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 23 फरवरी 2011

क्रमांक 13/दो-3-4/2008.—श्री नीलम चंद सांखला, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), दुर्ग वर्तमान पीठासीन अधिकारी, छ.ग. राज्य वक्फ अधिकरण, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 31-08-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 10 मार्च 2011

क्रमांक 18/दो-2-22/2001.—श्रीमति मैत्रेयी माथुर, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, राजनांदगांव को उनके आवेदन पत्र दिनांक 27-01-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.

बिलासपुर, दिनांक 14 फरवरी 2011

क्रमांक 9/दो-3-16/2003.—श्री अनिल कुमार शुक्ला, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुंद वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी को उनके आवेदन पत्र दिनांक 15-11-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 14 फरवरी 2011

क्रमांक 10/दो-2-9/2008.—श्री अखिल कुमार सामन्तरे, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर वर्तमान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मनेन्द्रगढ़ को उनके आवेदन पत्र दिनांक 21-12-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एल. खुटेल, बजट अधिकारी.